भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F. No. E-FNC/225/2022-EF/ 06811 Date:14-05-2025

Circular No. 08 Dated 14/05/2025

विषय: सीप्ज़-एसईजेड में भवनों और भूखंडों के लिए विविध अनुमति शुल्क का मानकीकरण।

Sub: Standardisation of Miscellaneous permissions charges for buildings and plots in SEEPZ-SEZ. .

चिलर, ब्लोअर और एएचयू के लिए स्थान के उपयोग के लिए पट्टा किराये में संशोधन के संबंध में परिपत्र संख्या 07 दिनांक 26.09.2024 के दमन में, 72वीं प्राधिकरण बैठक में अनुमोदित निम्नलिखित संशोधित दरें और दिशानिर्देश अधिसूचित किए जाते हैं:

In supersession of Circular No. 07 dated 26.09.2024 regarding the revision of lease rent towards the usage of space for chillers, blowers, and AHUs, the following revised rates and guidelines are hereby notified as approved in the 72nd Authority Meeting:

1. विविध अनुमतियों (भवन और भूखंड) के लिए मानकीकृत शुल्क

1. **Standardized Charges for Miscellaneous Permissions (Buildings and Plots)**

01.10.2024 से प्रभावी, उपयोगिता प्रतिष्ठानों के लिए स्थान के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क लागू होंगे:

- ग्राउंड लेवल इंस्टॉलेशन: ₹1,568 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
- टेरेस इंस्टॉलेशन: ₹2,585 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष
- अस्थायी मानसून शेड की स्थापना: ₹100/- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष

Effective from **01.10.2024**, the following charges shall be applicable for the usage of space for utility installations:

- **Ground Level Installations**: ₹1,568 per sq. mtr. per annum
- **Terrace Installations**: ₹2,585 per sq. mtr. per annum
- **Installation of Temporary Monsoon shed**: ₹100/- per sq. mtr. per annum

2. गैर-आवश्यक या भंडारण उपयोग

ऐसे मामलों में जहां आवंटित स्थान काउपयोग

गैर-आवश्यक या भंडारण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, पट्टा किराया संबंधित इकाई द्वारा अधिगृहित गाला पर लागू प्रचलित दर पर लिया जाएगा।

3. दूरसंचार टावर

दूरसंचार टावरों के लिए पट्टा किराया **22.04.2025** (अर्थात 72वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त जारी) से प्रति टावर प्रति वर्ष **₹3,00,000** (केवल तीन लाख रुपये) होगा।

4. वार्षिक वृद्धि खंड

उपर्युक्त दरें सभी प्रकार की अनुमतियों पर 5% की वार्षिक वृद्धि के अधीन होंगी, जो कार्यान्वयन की तारीख के बाद के वित्तीय वर्ष से प्रभावी होंगी।

यह सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है।

2. Non-Essential or Storage Usage

In cases where the allotted space is being utilized for **non-essential or storage purposes**, the lease rent shall be charged at the **prevailing rate applicable to the Gala occupied by the respective unit.**

3. Telecommunication Towers

The lease rent for **telecommunication towers** shall be **₹3,00,000 (Rupees Three Lakhs only) per tower per annum**, effective from **22.04.2025** (i.e. issuance of Minutes of the 72nd Authority Meeting)

4. Annual Escalation Clause

The above-mentioned rates shall be subject to an **annual escalation of 5%** to all type of permissions, effective from the subsequent financial year following the date of implementation.

This issues with approval of Chairperson of SEEPZ-SEZ Authority.

Digitally signed by
Mital Sudhir Hiremath
Date: 14-05-2025
13:12:39

(मितल एस. हिरेमठ)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-एसईज़ेड

प्रतिलिपि:
1. सभी यूनिटधारक, सीप्ज़-सेज़
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर

4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीप्ज़-एसईज़ेड
5. Technical Cell
6. Caretaker, SEEPZ
7. Rise ERP
8. वित्त अनुभाग, सीप्ज़-सेज़